



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233878
CG-DL-E-03032022-233878

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 897]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2022/ फाल्गुन 11, 1943

No. 897]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2022/PHALGUNA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

का.आ. 927(अ) – केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1505(अ) तारीख 8 अप्रैल 2021, का.आ. 4138(अ) तारीख 18 अक्टूबर 2021 और का.आ. 4556(अ) तारीख 01 नवंबर 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के साम्बा जिले में दिल्ली लुधियाना अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे (NH No. NE5) किमी 503.200 से किमी 514+300 तक, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के कि.मी. 86.7 से कि.मी.96 तक के साथ, के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18 अप्रैल 2021", "23 अक्टूबर 2021" और "04 नवंबर 2021" को "डेली एक्सेलसियर और अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की

उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के साम्बा जिले में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के कि.मी. 86.7 से कि.मी.96 तक के साथ दिल्ली लुधियाना अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे (NH No. NE5) के किमी 503.200 से किमी 514+300 तक के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि, संरचना सहित अथवा संरचना रहित, का विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: साम्बा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बड़ी ब्राह्मणा				
	गांव का नाम: मीन चरकन				
1	846	अन्य	कृषि /गैर कृषि	0.0316	(0.0240 हैक्टर)दुर्गा सिंह पुत्र जलूं 1 हिस्सा संसार सिंह S/o अमरि सिंह 1 हिस्सा, बलवान सिंह S/o बहगु सिंह 1 हिस्सा, गोपाल सिंह और अन्य 1 हिस्सा दर 77K-4M लोचन सिंह, मुंशी सिंह, रतन सिंह, किशन सिंह s/o रूपा 4 हिस्सा ,शमशेर सिंह, जोगिन्दर सिंह S/o बराबर हिस्सा 18 हिस्सा श्रिष्ट देवी, आशा देवी, बिम्बी देवी, वीणा देवी, ज्योति देवी पुत्री समित्र देवी विद्वाह ज्ञान सिंह बराबर हिस्सा 6 हिस्सा दर 1 हिस्सा पंजाब सिंह, काबला सिंह पुत्र उत्तम सिंह 2/3 हिस्सा राज कुमार S/o तन्नो देवी, राज कुमारी पुत्री चंचलो देवी विद्वाह भोला बराबर हिस्सा 1/3 हिस्सा दर 1 हिस्सा मागतु S/o सरबण 1 हिस्सा 77K हरसाल सिंह S/o मतबना सेवा सिंह 55K-11M दर 829K, डोडी माँ गोगार 1/4 शेयर, ईश्री सिंह, रोहि सिंह

					पुत्र साब सिंह बराबर हिस्सा 2 हिस्सा हीम सिंह, जमाना देवी विद्वाह कीकरा सिंह बराबर हिस्सा दर 1/4, अनंत सिंह, चैन सिंह, मुभारक सिंह, बलदेव सिंह, खजूर सिंह, बौ सिंह पुत्र सर्जन सिंह बराबर हिस्सा 1/4 हिस्सा पिंजू गैरहासार अलखबर पुत्र नाथा 1/4 हिस्सा राजपूत चारक भरद्वाज वासी देह दर 1065- 5 मरला सुदेश पत्नी जोगिन्दर सिंह थू पॉवर ऑफ अटॉर्नी पति वेंडर जतिंदर सिंह S/o जगजीत सिंह वासी गन्दी नगर वेंडी (0.0076 हैक्टर) मकबूजा सिंचाई विभाग (846)
			कुल	0.0316	

[फा. सं. NHAI/PIU/Jammu/DPR-Satwari/0001/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2022

S.O. 927(E). –Whereas by the notification of the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India S.O.1505(E) Dated 8 April 2021, S.O. 4138(E) Dated 18 October 2021 & S.O. 4556(E) Dated 01 Nov 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Delhi Ludhiana Amritsar Katra Expressway (NH No. NE5) from km 503.200 to km 514+300 along the existing NH44 from Km 86.7 to Km 96 in district of SAMBA of the UT of J&K;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Excelsior” and “Amar Ujala” both dated 18 April 2021, 23 Oct 2021 & 04 Nov 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for construction , operation & maintenance of Delhi Ludhiana Amritsar Katra Expressway (NH no. NE5) from km 503.200 to km 514+300 along the existing NH44 from Km 86.7 to Km 96 in district of SAMBA in the UT of J&K

State: JAMMU & KASHMIR			District: SAMBA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bari Brahamana				
	Village: Meen Charkan				
1	846	Common	Agriculture/Non-Agriculture	0.0316	(0.0240 Hectare)Durga Singh S/o Jaloon 1 Share Sansar Singh S/o Amari Singh 1 Share, Balwan Singh S/o Bahgu Singh 1 Share, Gopal Singh and Others 1 Share Dar 77K-4M Lochan Singh, Munshi Singh, Rattan Singh, Kishan Singh s/o Rupa Equal share 4 Share ,Shamsher Singh, Joginder Singh S/o Equal Share 18 Share Shrishta Devi, Asha Devi, Bimbi Devi, Veena Devi, Jyoti Devi D/o Samitra Devi Widow of Gyan Singh Equal share 6 Share Dar 1 Share Punjab Singh, Quabla Singh Sons of Uttam Singh 2/3 Share Raj Kumar S/o Tanno Devi , Raj Kumari D/o Anchlo Devi Widow of Bhaula Equal share 1/3 Hissa Dar 1 share Magtu S/o Sarban 1 Share 77K Harsal Singh S/o Matbana Seva Singh 55K-11M Dar 829K, Dodi Mother Gogar 1/4 Share, Ishri Singh, Ravi Singh Sns of Saab Singh Equal share 2 Share Heem Singh, Jamana Devi Widow Of Kikra Singh Equal Sgare Dar 1/4, Anant Singh, Chain Singh, Mubharak Singh, Baldev Singh, Khajur Singh, Bau Singh Sons Sarjan Singh Equal Share 1/4 Share Pinju Gairhasar Alkhabar S/o Natha 1/4 Share Rajput Charak Bhardwaj R/o Deh Dar 1065K-5M Sudesh W/o Joginder Singh Thu Power Of Attorney Husband Vendor Jatinder Singh S/o Jagjit Singh R/o Gandhi Nagar Vendee. (0.0076 Hectare) Makbuja Irrigation Department 846
			TOTAL	0.0316	

[F. No. NHAI/PIU/Jammu/DPR-Satwari/0001/3D]

RAJESH GUPTA, Director